Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ जिला जोधपुर में कानिस्टेबल को 20,000/— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, उप निरीक्षक मौके से फरार।

जयपुर, दिनांक 18 दिसम्बर, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी (विशेष ईकाई) जोधपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **भविष्यकुमार कानि० पुलिस थाना राजीव गांधी नगर जोधपुर कमिश्नरेट** को **20,000/— रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी (विशेष ईकाई) जोधपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी गांव चौखा में एक कब्जा शुद्धा किराये के मकान में रहता हैं। मकान को लेकर मकान मालिक भभुताराम एवं सागर गहलोत के बीच विवाद चल रहा हैं, जिसके चलते सागर गहलोत ने भभुताराम व परिवादी के पुत्र के खिलाफ पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में अ०स० 89/2025 दर्ज करवाया। आरोपीगण प्रेमनाथ उप निरीक्षक व भविष्य कुमार कानि० द्वारा परिवादी को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में बुला कर सागर गहलोत को धमकाने का आरोप लगाकर मुकदमें में परिवादी का भी नाम डाल कर उसको फसाने एवं गिरफ्तार करने की धमकी देकर मुकदमें से नाम हटाने की एवज में 30,000/— रूपये की रिश्वत की मांग कर पेरशान किया जा रहा हैं।

जिस पर एसीबी जोधपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भुवन भूषण यादव** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. जोधपुर—एस.यू. के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** के नेतृत्व में आज मय **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष चौधरी** एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी भविष्य कुमार कानि० को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के सामने परिवादी की गाडी में बैठकर 20,000/— रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, आरोपी श्री प्रेमनाथ उप निरीक्षक एसीबी कार्यवाही की भनक लगने से मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी हैं।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।